<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आई0डी0एम0सी0(प्रा0) लि0, जी0एफ0-66, दुर्गा टावर, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**002/ 17, 19.01.2017**
प्रार्थी की ओर से	**श्री के0सी0 सिन्हा, फर्म अधिवक्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

प्रार्थी सर्वश्री आई0डी0एम0सी0(प्रा0) लि0, जी0एफ0-66, दुर्गा टावर, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 19.01.2017 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

A) Whether there will be any Tax Liability under the UP VAT ACT on the value of goods to be sent from outside UP for use in execution of works contract in view of provisions of Section 3,4,5 of the CST ACT and the judgment pronounced by the Hon'ble Supreme Court in Indure Ltd & Others Vs. CTO reported in VSTI 2010 Page 811 and by Alld. High Court in Santosh & Co. Vs. CTT 1999 UPTC Pg-823.

B) Whether the Supply of equipment by Rail or Truck to be delivered at site will be liable to be taxed separately ignoring the agreement and letter of intent.

C) Whether various deductions provided U/r. 9 of the UPVAT ACT are available on total receipts.

D) Whether TDS can be made on Advance payments and Civil work amount.

E) Whether ITC U/s 13 of the UPVAT ACT, will be available in case Purchases against Tax Invoice in respect of goods to be used in execution of Works Contract.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री के0सी0 सिन्हा, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

3. एड़ीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-927, दिनांक 20.05.2017 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है वर्क्स कन्ट्रैक्ट के मामलों में कर आरोपित करने हेतु कार्य संविदा में प्राप्त भुगतान में से निम्नलिखित धनराशियॉ घटाए जाने का प्रावधान उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम में किया गया है :-

(i) The amount representing the sales value of the goods covered by sections 3,4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956.

(ii) The amount representing the value of the goods exempted under section-4

(iii) The amount representing the value of the goods on the sale or purchase where tax has been levied or is leviable under this Act at some earlier stage.

(iv) The amount representing the value of the goods manufactured in a new unit exempted under section-4 A or section 4-AAA.

(v) The amount representing the value of the goods supplied to the contractor by the contractee, provided that the ownership. Of such goods remains with the contractee under the terms of the contract;

.....2

(vi) The amount representing the labor charges for the execution the works contract;

(vii) All amounts paid to the sub-contactors as the consideration for execution of the works contract, whether wholly or in part;

Provided that no deduction under his sub-clause shall be allowed unless the dealer claiming deduction produces proof that the sub-contractor is a registered dealer liable to tax under this Act and that such amount is included in the return of turnover filed by such sub-contractor under the provisions of this Act;

(viii) The amount representing the charges for planning, designing and architects fee'

(ix) The amount representing the charges for obtaining on hire otherwise machinery and tools used for execution of the works contract;

(x) The amount representing the cost of consumables used in the execution of the works contract, the property in which is not transferred in the execution of the works contract;

(xi) The amount representing the cost of establishment and other similar expenses of the contractor to the extent it is relatable to supply of labor and services;

(xii) The amount representing the profit earned by the contractor to the extent it is relatable to the supply of labor and services.

उपरोक्त क्रमांक () पर अंकित धनराशियों को घटाने के बिन्दु पर अनेक भ्रान्तियां एवं विवाद पाए जाते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित दो प्रकार से कर निर्धारण की कार्यवाहियां की जानी पाई जाती हैं :-

पहला प्रकार यह है कि प्रान्त बाहर से खरीदी गई वस्तुओ से संबंधित संव्यवहार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-3 से आच्छादित मानते हुए कार्य संविदा में उनके अन्तरण पर करारोपण नहीं किया जाता। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सर्वश्री गैनन डंकरले एण्ड कम्पनी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों के अधिकारों पर विस्तृत व्याख्या की गई है और यह निर्णय दिया गया है कि संविधान की धारा-286 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3,4 व 5 से संबंधित संव्यवहारों पर कर आरोपित करने का अधिकार नहीं है। इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने शासन की विज्ञप्ति सं0-2399 दि0 27-04-87, उसके द्वारा प्राविधानित धारा-3F, तथा तत्संबंधी नियम 44B सर्वश्री वी0के0 सिंघल एण्ड अदर बनाम स्टेट आफ यू0पी0 (1995 NTN (Vol6) All. H.C.17; 1995 UPTC-337) के वाद निर्णय में असंवैधानिक घोषित कर अपास्त कर दिया था, जिसके पश्चात अमेण्डमेन्ट एक्ट नं0-31/1995 द्वारा पुन: स्थापित धारा-3F तथा उसके संबंध में बनाए गए नियम 44B के अर्न्तगत केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3,4 व 5 से आच्छादित संव्यवहारों से संबंधित मूल्यों को घटाकर ही कर आरोपित करने का प्राविधान किया गया। अत: केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-3,4 व 5 से संबंधित संव्यवहारों के मूल्य प्राप्त कुल भुगतान में से न घटाना पूर्णत: असंवैधानिक है और उसके बिना कर निर्धारण वैध नहीं कहा जा सकता ऐसा मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न वाद निर्णयों में व्यक्त किया गया है जैसे सर्वश्री एम्बी कारपोरेशन बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्रा कमिश्नर, व्यापार कर बनाम सर्वश्री इण्डियन रेलवे कान्सट्रेक्शन लि0 (2006 UPTC-914), सर्वश्री सन्तोष एण्ड कम्पनी नई दिल्ली बनाम कमिश्नर, व्यापार कर उ0प्र0 (1999 NTN) (Vol.15) 604), सर्वश्री प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसेज सेन्टर बनाम स्टेट आफ त्रिपुरा (1991) 82 STC-89), सर्वश्री आयल इण्डिया लि0 बनाम सुपरिटेडेन्ट आफ टैक्सेज (1975) 35-STC-445), सर्वश्री ड्यूवेन्ट फैन्स प्रा0लि0 बनाम कमिश्नर, व्यापार कर (1997 NTN (Vol.10) 189) तथा सर्वश्री रायल फर्नीचर्स बनाम कमिश्नर, व्यापार कर (2009 (46) STJ-249) इत्यादि।

<u>सर्वश्री आई0डी0एम0सी0(प्रा0) लि0/ प्रा0 पत्र सं0-002 / 17 / धारा-59 / पृष्ठ-3</u>

इसके विपरीत यदि प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं से संबंधित संव्यवहार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-3 से आच्छादित न मानते हुए कार्य संविदा के उनके अन्तरण पर करारोपण किया जाता है। इस संबंध में आधार यह लिया जाता है कि कान्ट्रैक्टर के पास अनेक कान्ट्रैक्ट उपलब्ध रहते हैं और उनके द्वारा सभी कान्ट्रैक्ट्स में प्रयोग हेतु विभिन्न मालों का आयात किसी एक कान्ट्रैक्ट विशेष को एसर्टेन किए बिना सामान्य रुप से कर लिया जाता है और प्रान्त अन्दर उसकी डिलवरी अपने गोदाम में ले ली जाती है और समय-समय पर उसे अलग-अलग कई संविदाओं में प्रयोग हेतु आवश्यक्तानुसार अपने गोदाम से संविदा स्थल पर ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा ट्रांसफर निश्चित रुप से केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रान्त बाहर से माल आयात होने के पश्चात उसकी डिलेवरी उत्तर प्रदेश में संविदाकार द्वारा ले लेने के बाद उसका दुबारा मूवमेन्ट प्रारम्भ करके उसे संविदी के कार्यस्थल तक ले जाया जाता है। इस प्रकार प्रान्त बाहर से विक्रेता व्यापारी से प्रान्त कें संविदी तक माल पहुॅंचने में एक नहीं अपितु दो अलग-अलग संव्यवहार प्रकाश मे आते हैं। प्रथम प्रान्त बाहर के विक्रेता से प्रान्त के कान्ट्रैक्टर द्वारा डिलेवरी लेने तक का संव्यवहार तथा दूसरा प्रान्त के संविदाकार से संविदी को अन्तरित करने हेतु उसे संविदाकार के गोदाम से संविदी के कार्य स्थल तक प्रेषित करने का संव्यवहार। संविदा में माल का अन्तरण दूसरे भाग से संबंधित है, जो केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3 की छूट नहीं दी जा सकती, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश द्वारा सर्वश्री मीडिया कम्युनिकेशन बनाम गवर्नमेन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश (1996 STC-108) के वाद निर्णय में कहा गया है।

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री परिभाषित की गई है, जिसके अनुसार एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को माल का मूवमेन्ट होने और यह मूवमेन्ट दूसरे प्रान्त के अल्टीमेट पर चेजर से लिंक्ड होने अर्थात माल का मूवमेन्ट किसी कान्ट्रैक्ट (लिखित या मौखिक या इम्प्लाइड) से समर्थित होने पर ही केन्द्रीय बिक्री कारित होती है और ऐसा न होने पर संव्यवहार अस्वीकार करने हेतु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संव्यवहारों में यह खोज की जाती है कि प्रान्त से माल का मूवमेन्ट तथा दूसरे प्रान्त के क्रेता के मध्य क्या कोई लिंक है अर्थात यह मूवमेन्ट क्या किसी कान्ट्रैक्ट / एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत हुआ है, जिस प्रकार कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा स्टाक ट्रांसफर के संव्यवहारों में केन्द्रीय बिक्रीकर आरोपित करने हेतु यह परिस्थिति खोजी जाती है, उसी प्रकार व्यापारियों द्वारा कार्य संविदा के मामलों में छूट पाने हेतु यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि, प्रान्त बाहर से माल का मूवमेन्ट विशिष्ट संविदा के निष्पादन हेतु ही हुआ है अर्थात प्रान्त बाहर से माल के मूवमेन्ट तथा संविदा में उसके प्रयोग के मध्य आवश्यक लिंक स्थापित है और आयातित माल उसी विशिष्ट संविदा स्थल पर ले जाया गया है और उसी संविदा में प्रयोग भी किया गया है। ऐंसा प्रमाणित करने पर कार्य संविदा के मामलों में अन्तरित किए जाने वाले प्रान्त बाहर से आयातित मालों के मूल्यों पर छूट विधि अनुसार दी जानी अनिवार्य होगी। निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी छूट विधिक रुप से अस्वीकार नहीं की जा सकती :-

(1) यदि वर्क्स कान्ट्रैक्ट के एग्रीमेन्ट में आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्पेसिफिकेशन्स का उल्लेख किया गया हो और कान्ट्रैक्ट द्वारा उस माल की खरीद हेतु प्रान्त बाहर के विक्रेता को दिए गए आर्डर में उन स्पेसिफिकेशन्स का उल्लेख किया गया हो तथा विक्रेता द्वारा जारी बिल पर भी उन स्पेसिफिकेशन्स का उल्लेख किया गया है,

(2) यदि प्रान्त बाहर के विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी बिलों पर माल की डिलेवरी संविदी के कार्य स्थल पर किए जाने का उल्लेख किया गया हो और वह डिलेवरी फार एण्ड आन बिहाफ आफ संविदी किए जाने का भी उल्लेख किया गया हो,

(3) यदि जी0आर0/आर0आर0 या तो संविदी के नाम में ही बनवाई गई हो या "कान्ट्रैक्टर" A/C (आन एकाउन्ट आफ) "संविदी" बनवाई गई हो,

<u>सर्वश्री आई0डी0एम0सी0(प्रा0) लि0/ प्रा0 पत्र सं0-002 / 17 / धारा-59 / पृष्ठ-4</u>

(4) यदि विक्रेता द्वारा जारी इनवाइस भी संविदी के नाम से जारी की गई हो अथवा कान्ट्रैक्टर A/C (आन एकाउन्ट आफ) संविदी के नाम से जारी की गई हो और उस पर वर्क कान्ट्रैक्टर नम्बर, परचेज आर्डर नम्बर तथा जी0आर0/आर0आर0 आदि का उल्लेख किया गया हो ।

(5) यदि आयात घोषणा-पत्र संविदी का ही प्रयोग किया गया हो और उस पर संविदी स्थल का भी उल्लेख किया गया है ।

ऐसा करने से प्रान्त बाहर से आयातित माल का मूवमेन्ट विशिष्ट कार्य संविदा के निष्पादन में उसके प्रयोग से संबंधित होना स्पष्ट रुप से प्रमाणित हो जाता है और ऐसे संव्यवहार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3 से आच्छादित होने के कारण उनके मूल्य पर विधिक रुप से कर आरोपित नहीं किया जा सकता ।

विवेचन-माननीय उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश द्वारा सर्वश्री मीडिया कम्यूनिकेशन बनाम गवर्नमेन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश ((1996 STC-108) के वाद में दिये गये निर्णय के अनुसार यदि प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं से संबंधित संव्यवहार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3 से आच्छादित न मानते हुए कार्य संविदा के उनके अन्तरण पर करारोपण किया जाता है । इस संबंध में आधार यह लिया जाता है कि कान्ट्रैक्टर के पास अनेक कान्ट्रैक्ट उपलब्ध रहते हैं और उसके द्वारा सभी कान्ट्रैक्ट्स में प्रयोग हेतु विभिन्न मालों का आयात किसी एक कान्ट्रैक्ट विशेष को एसर्टेन किए बिना सामान्य रुप से कर लिया जाता है और प्रान्त अन्दर उसकी डिलेवरी अपने गोदाम में ले ली जाती है और समय-समय पर उसे अलग-अलग कई संविदाओं में प्रयोग हेतु आवश्यक्तानुसार अपने गोदाम से संविदा स्थल पर ट्रांसफर किया जाता है । ऐसा ट्रांसफर निश्चित रुप से केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रान्त बाहर से माल आयात होने के पश्चात उसकी डिलेवरी उत्तर प्रदेश में संविदाकार द्वारा ले लेने के बाद उसका दुबारा मूवमेन्ट प्रारम्भ करके उसे संविदी के कार्यस्थल तक ले जाया जाता है । इस प्रकार प्रान्त बाहर से विक्रेता व्यापारी से प्रान्त कें संविदी तक माल पहुॅचने में एक नहीं अपितु दो अलग-अलग संव्यवहार प्रकाश मे आते हैं । प्रथम प्रान्त बाहर के विक्रेता से प्रान्त के कान्ट्रैक्टर द्वारा डिलेवरी लेने तक का संव्यवहार तथा दूसरा प्रान्त के संविदाकार से संविदी को अन्तरित करने हेतु उसे संविदाकार के गोदाम से संविदी के कार्य स्थल तक प्रेषित करने का संव्यवहार । संविदा में माल का अन्तरण दूसरे भाग से संबंधित है, जो केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-3 छूट नही दी जा सकती है । कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा-3, 4, 5 के अन्तर्गत छूट के मामले में लिये गये विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि किसी भी संविदा विशेष में उक्त धाराओं के अन्तर्गत छूट अनुमन्य किये जाने का कोई अभिनिश्चेय सिद्धान्त न होकर संविदा में नियत शर्तों पर निर्भर करता है ।

बिन्दु-B आख्या- यदि रेल अथवा सडक मार्ग से आपूर्ति की गयी वस्तु कैपिटल गुड्स है तो ऐसी वस्तु की बिक्री पर कर की देयता नही होगी ।

बिन्दु-D आख्या-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा के अनुसार 34(1) Without prejudice to any other mode of recovery, payment or collection of tax under this Act, the State Government may, by notification in the Gazette, direct that, in a specified case and in the specified circumstances but subject to such conditions as may be specified, every specified person responsible for making payment to the selling dealer, for discharge of liability on account of valuable consideration payable on sale of goods in such cases as may be specified, shall, at the time of making such payment to the seller, either by credit or in cash or in any other manner, towards satisfaction of tax payable by the dealer on account of sale of any taxable goods, deduct an amount determined in the manner specified: Provided that where in case of a works contract, the contractor has awarded a

sub-contract and the notification provides for deduction of amount by the contractee from the payments made to contractor, the contractor responsible for making any payment or discharge of any liability to any sub-contractor, in pursuance of a contract with the sub-contractor, shall, while making payment to the sub-contractor, deduct amount of tax referred to above.

Provided further that where in case of a works contract, the contractor has already made deduction from the payments made to his sub-contractor, the amount of such payments shall be deducted from the amount on which deduction is to be made by the contractee to the contractor.

उपरोक्त प्राविधान में भुगतान पर टी0डी0एस0 काटने का निर्देश दिया गया है अत: अग्रिम भुगतान पर भी टी0डी0एस काटकर जमा किया जाना अपेक्षित है।

बिन्दु-E आख्या- यदि व्यापारी द्वारा वर्क्स कान्ट्रैक्ट में प्रयोग किया गया माल कर योग्य वस्तु की परिधि में है तथा उपरोक्त कर योग्य माल का अन्तरण कार्य संविदा में किया जाता है एवं यह अन्तरण करयोग्य श्रेणी में है तो ऐसे समस्त अन्तरण पर आई0टी0सी0 का लाभ उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-13 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी फर्म द्वारा माह-जून 2016, सितम्बर 2016, दिसम्बर 2016 एवं मार्च 2017 के त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। जिसमें व्यापारी द्वारा प्रथम तिमाही में 5प्रतिशत की दर से कर की देयता स्वीकार की गई है तथा चतुर्थ तिमाही में व्यापारी द्वारा 14.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार की गई है एवं प्रत्येक तिमाही के रिटर्नों में टी0डी0एस0 की कटौती कर के कर जमा किया जाना प्रदर्शित किया गया है। जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रश्नगत वस्तु पर कर की दर का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,3 व 4 में उल्लिखित प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम 9(2) एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-13 एवं 34 की व्याख्या से सम्बन्धित प्रश्न है। अत: उक्त बिन्दुओं पर भी प्रार्थी द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा माह-जून 2016, सितम्बर 2016, दिसम्बर 2016, मार्च 2017 के रिटर्न दाखिल किये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। प्रार्थी द्वारा माह- जून 2016, सितम्बर 2016, दिसम्बर 2016 मार्च 2017 के रिटर्न दाखिल किये गये हैं जो कर निर्धारण

<u>सर्वश्री आई0डी0एम0सी0(प्रा0) लि0/ प्रा0 पत्र सं0-002 / 17 / धारा-59 / पृष्ठ-</u>

की कार्यवाही में विचाराधीन है। अतएव प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होने के कारण आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ए परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

ह0/ 18.12.2017
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।